90
29.09.2017

FALCON

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 4 (5) उद्योग/ग्रुप-2/2011 जयपुर, दिनांक 29/09/2017

-:आदेशः-

राज्य में खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत विशेष रिबेट दिये जाने हेतु राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक के. वी.बी.एफ./आडिट/138 दिनांक 27.09.2017 के प्रस्तावानुसार सूती, ऊनी खादी, रेशमी खादी, पोली वस्त्र एवं पोलीवूल पर 5 प्रतिशत की दर से राज्य सरकार द्वारा विशेष रिबेट 80 दिवसों के लिए निम्नांकित विवरणानुसार दिये जाने की राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

सूती खादी, रेशम खादी, पोली परः-

क्र.सं.	माह	अवधि	कुल कार्य दिवस	कुल अवकाश दिवस	अवकाश दिनांक
1.	अक्टूबर, 17	02.10.2017 से 31.10.2017 तक	23	07	8,15,22,29 रविवार एवं 19 व 20,21 दीपावली, गोवर्धन पूजा भैया दोज
2.	नवम्बर, 17	14.11.2017 से 30.11.2017 तक	15	02	19,26 रविवार
3.	दिसम्बर, 17	01.12.2017 से 31.12.2017 तक	26	05	3,10,17,24,31 रविवार
4.	जनवरी, 18	01.01.2018 से 18.01.2018 तक	16	02	7,14, रविवार
		योग	80	16	

ऊनी खादी, एंव पोली वूल परः-

क्र.सं.	माह	अवधि	कुल कार्य दिवस	कुल अवकाश दिवस	अवकाश दिनांक
1.	नवम्बर, 17	14.11.2017 से 30.11.2017 तक	15	02	19,26 रविवार
2.	दिसम्बर, 17	01.12.2017 से 31.12.2017 तक	26	05	3,10,17,24,31 रविवार
3.	जनवरी, 18	01.01.2018 से 31.01.2018 तक	26	05	7,14,21,28 रविवार, व 26 गंणतत्र दिवस
4	फरवरी, 18	01.02.2018 से 16.02.2018	13	03	4,11 रविवार व 13 महाशिवरात्री
		योग	80	15	

यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगीः-

1. खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पंजीकृत खादी संस्था/समिति द्वारा संचालित बिक्री भण्डार/उत्पादन केन्द्र/प्रदर्शनियों को रिबेट देय होगी।
2. खादी संस्था/समितियों को उपरोक्त छूट उसी बिक्री पर देय होगी, जो खादी आयोग या राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से खादी का उत्पादन, व्यापार या बिक्री को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्ति के लिए सम्बद्ध है।
3. खादी बोर्ड द्वारा निर्धारित फुटकर बिक्री लक्ष्यांको की सीमा तक ही एवं प्री आडिट के बाद रिबेट का पुनर्भरण देय होगा।
4. खादी निर्यात एंव सरकारी बिक्री पर रिबेट देय नहीं होगी।

5. प्रत्येक संस्था छूट अवधि के दौरान दी गई मासिक रिबेट की संकलित सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् खादी बोर्ड को प्रेषित/प्रस्तुत की जावेगी।
6. बिक्री की गई राशि को आयोग के नियमानुसार प्रतिदिन सम्बन्धित बैंक में जमा करवाना अनिवार्य है।
7. यह रिबेट वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु पूर्व वर्षो में निर्धारित राशि रूपये 400.00 लाख के स्थान पर 250.00 लाख की सीमा तक देय होगी। रिबेट भुगतान के क्लेम रिबेट अवधि के पश्चात ही प्राप्त होंगे अतः राशि रूपये 250.00 लाख के अतिरिक्त बजट प्रावधान हेतु बोर्ड संशोधित बजट अनुमानो के समय प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. बोर्ड वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु विपणन विकास सहायता योजना के अन्तर्गत संस्थाओं को उत्पादन पर सहायता दिये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के खादी आयोग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगा।
9. Khadi Board is advised to take necessary steps as per direction given in BFC 2017-18 at the earliest.

बोर्ड रिबेट अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् संस्थाओं से प्राप्त रिबेट राशि के अंकेक्षित क्लेम्स आयुक्त, उद्योग विभाग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या– 161701122 दिनांक 26.09.2017 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दुर्गा जोशी)
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
गोकुलभाई भट्ट स्मृति भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302017
Ph.No.0141-2705197-200, Fax No.0141-2706510, 2700718, Email : khadijpr@yahoo.co.in

क्रमांक:/के.वी.पी.एफ/आडिट/ 140–150 दिनांक– 29.09.2017

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव लघु उद्योग एंव खादी ग्रामोद्योग,राजस्थान–सरकार,जयपुर।
2. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. उप शासन सचिव,उद्योग (ग्रुप–2) राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 3 इर्ला रोड,विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई 56
5. निदेशक(प्रचार–प्रसार) बिक्री/विकास,खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 3–इर्ला रोड,विले पार्ले(पश्चिम) मुम्बई 56
6. निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जयपुर/बीकानेर।
7. निजी सहायक, अध्यक्ष/सचिव/वित्त सलाहकार, खादी बोर्ड, जयपुर।
8. बोर्ड के समस्त अधिकारीगण.......................................।
9. सम्भाग अधिकारी ,सम्भाग कार्यालय,जिला उद्योग केन्द्र.......................................।
10. समस्त प्रमाणित खादी संस्था/समिति/व्यवसायिक केन्द्रों को भेजकर सचित किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य–सरकार से प्राप्त राशि की सीमा एंव उक्त निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत ही रिबेट राशि का पुनर्भरण किया जावेगा।निर्धारित बजट सीमा से अधिक क्लेम्स प्राप्त होने पर अधिक राशि की कटौति संस्था/समितियों के क्लेम्स से की जावेगी,जिसकी जिम्मेदारी संस्था/समितियों की होगी।

(अल्पा चौधरी)
सचिव

abhi